भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4138

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

वर्षा जल संचयन परियोजनाएं

4138. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान जैसे पानी की कमी वाले राज्यों में वर्षा जल संचयन परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने सभी प्रतिष्ठानों के लिए भूजल पुनर्भरण के लिए छत का पानी एकत्र करने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्षा जल संचयन की इस पहल में भाग लेने के लिए उद्यागों और निजी संस्थाओं को मनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल, राज्य का विषय है और वर्षा जल के संचयन सहित इसके प्रबंधन और संरक्षण के प्रयास राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केन्द्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण और पुनर्भरण पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। राजस्थान सहित देश भर में वर्षा जल संचयन के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नवत हैं:

i. भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) नामक एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं शामिल हैं।

ii. 15वें वित्त आयोग से संबद्ध अनुदानों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिसका उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन के लिए किया जा सकता है।

iii. जल शक्ति मंत्रालय वर्ष 2019 से वार्षिक आधार पर जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन कर रहा है। चालू वर्ष में, जल शक्ति मंत्रालय देश के सभी जिलों (ग्रामीण के साथ-साथ शहरी) में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2024 को कार्यान्वित

कर रहा है, जो जेएसए की श्रृंखला में 5वां अभियान है। जेएसए: सीटीआर, केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीमों और निधियों का एक अभिसरण है, जैसे मनरेगा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल, मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार घटक, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्प), वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार की स्कीमें, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियाँ आदि। जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन अभियान के प्रमुख कार्यकलापों में से एक है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ छत और पुनर्भरण संरचनाओं सहित वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत शामिल है। राजस्थान में जेएसए: सीटीआर के अंतर्गत उपर्युक्त कार्यकलाप के संबंध में पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है

जल शक्ति अभियान के वर्ष: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर)	**राज्य**	**पूरे किए गए जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन कार्य**
2021	राजस्थान	128202
2022	राजस्थान	38283
2023	राजस्थान	63407
2024	राजस्थान	83733
कुल		**313625**

स्रोत: जेएसए: सीटीआर पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in)

iv. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 में वर्षा जल नालियों के माध्यम से जल निकाय में वर्षा जल संचयन (जिसमें सीवेज/अपशिष्ट का प्रवाह नहीं हो रहा है) के लिए प्रावधान है। शहरों का लक्ष्य जलभृत प्रबंधन योजना की तैयारी के माध्यम से शहर की सीमाओं के भीतर वर्षा जल संचयन में सुधार के लिए रोडमैप विकसित करके भूजल पुनर्भरण संवर्धन की रणनीति बनाना है। आईईसी अभियान के माध्यम से, वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है।

v. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जैसे दिल्ली एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 । इन दिशानिर्देशों में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त फोकस किया गया है।

vi. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया है, जो एक व्यापक स्तर की योजना है, जिसमें अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाया गया है। मास्टर प्लान में देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम

पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान है, ताकि 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा का दोहन किया जा सके।

vii. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का समर्थन किया गया है और वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

viii. भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) देश में वर्षा सिंचित और बंजर भूमि के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक को कार्यान्वित करता है। अन्य बातों के साथ-साथ किए जाने वाले कार्यकलापों में वर्षा जल संचयन, नर्सरी तैयार करना, चारागाह विकास, संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि का प्रबंध शामिल हैं। सरकार ने दिनांक 15 दिसंबर, 2021 को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के रूप में स्कीम को जारी रखने को मंजूरी दी है।

(ग) से (ड़): सरकार ने अपने सभी प्रतिष्ठानों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और इस महत्वपूर्ण पहल में उद्योगों और निजी संस्थाओं को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा तैयार किए गए मॉडल भवन उप-नियम (एमबीबीएल) के अनुसार, सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत सरकारी और पंचायत भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण अनुमत है। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान के अंतर्गत जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल शुरू की गई है, जो संतृप्ति मोड में वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण पर बल देती है। मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) से अनुरोध किया गया है कि वे मुख्यालय और फील्ड दोनों स्तरों पर अपने कार्यालय और आवासीय परिसरों में पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए मौजूदा स्कीमों का उपयोग करें।

जेएसजेबी पहल, औद्योगिक संघों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर, उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के माध्यम से जल पुनर्भरण पहलों में सहयोग करती है और उनके कार्यालय और आवासीय परिसरों में जल पुनर्भरण और भंडारण संरचनाओं को परिपूर्ण करती है। संसाधन युक्त लोगों को अपने राज्यों और मूल गांवों में पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य और जिला अधिकारियों से सीएसआर और निजी पहल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया जाता है।

*****